सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:— 117 / प्रा0पत्र / 2021 दायरा दिनांक :—23.07.2021

GCMS ID—2021 / 120

उनवान

1. कजोड आ0 चम्पू जाति अहीर निवासी रघुनाथपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. कालू आ0 चम्पू जाति अहीर निवासी रघुनाथपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. लादू आ0 चम्पू जाति अहीर निवासी रघुनाथपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. हरबक्ष आ0 कल्याण जाति अहीर निवासी रघुनाथपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. जगदीश आ0 कजोड जाति अहीर निवासी होलासपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. शंकर आ0 कन्हैयालाल जाति अहीर निवासी होलासपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :— अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थीगण :— श्री भंवरलाल गुर्जर
वकील अप्राथीगण 1 लगायत 3 :— एक पक्षीय कार्यवाही

आदेश

दिनांक : 21.03.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

प्रार्थीया का मुख्य रूप से कथन है कि प्रार्थीगण के सयुक्त खाते की भूमि खसरा संख्या 87 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, खसरा संख्या 88 रकबा 0.1133 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.3075 हैक्टेयर वाके ग्राम रघुनाथपुरा में विस्थित है, जिसमें प्रार्थीगण काबिज काश्त है। प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि के अगल—बगल अप्रार्थीगण की भूमिया है अप्रार्थीगण कई बार सीमा सम्बन्धी विवाद करते है तथा प्रार्थीगण की भूमि के अन्दर अपनी भूमि होने का उज्र करते है, जबकि प्रार्थीगण अपने खाते में दर्ज भूमि मे ही खेती कर रहे है कई बार प्रार्थीगण ने संयुक्त रूप से भूमियों का सीमाज्ञान करवाने का आग्रह किया परन्तु अप्रार्थीण ने अभी दिनांक 20.06.2021 को धमकी दी कि न तो सीमाज्ञान होगा और न पत्थरगढी करने देंगे। अप्रार्थीगण ताकतवर व्यक्ति है इसलिए प्रार्थीगण के पास सीमा सम्बन्धी विवादों के स्पष्ट समाधान हेतु पत्थरगढी के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 87 व 88 वाके ग्राम रघुनाथपुरा की पत्थरगढी करवाये। प्रार्थीगण पत्र निश्चित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भूमि खसरा संख्या 87 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, खसरा संख्या 88 रकबा 0.1133

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

हैक्टैयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.3075 हैक्टेयर वाके ग्राम रघुनाथपुरा की पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी जरिए नोटिस की गई जिस पर अप्रार्थी नम्बर 01 लगायत 03 बावजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जें के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक प्रार्थीगण को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया, वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम रघुनाथपुरा पटवार मण्डल धाबाईयों का नयागांव तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 4 के अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार, दबलाना को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 04 के खसरा नं. 87 रकबा 0.1942 हैक्टेयर व खसरा संख्या 88 रकबा 0.1133 हैक्टेयर जो कि प्रार्थीगण कजोड पुत्र चप्पू हिस्सा 1/6, कालू पुत्र चप्पू हिस्सा 1/6, कालूलाल पुत्र चप्पू हिस्सा 1/2, लादू पुत्र चप्पू हिस्सा 1/6 वाके ग्राम रघुनाथपुरा पटवार मण्डल धाबाईयों का नयागांव तहसील हिण्डोली की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थीगण से नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थीगण व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ नायब तहसीलदार, दबलाना को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/03/2025.

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446